



सेवास्लम प्रमाणित

पत्रांक.....

2209

/ L-11

/ 127

दिनांक 18/11/2025

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त संस्थानों/फर्मों (NABET से मान्यता प्राप्त)/सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु इस कार्यालय में आइटम रेट के आधार पर ऑनलाइन ई-निविदाएं/आवेदन आमंत्रित की जाती है। निविदा आमंत्रण की विस्तृत सूचना उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा <http://etender.up.nic.in> पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित ग्रामों का क्षेत्रफल (एकड़ में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	जनपद प्रतापगढ़ में प्रस्तावित नई आवासीय योजना "भूमि विकास, गृह स्थान एवं बाजार योजना, कटरा रोड, प्रतापगढ़ हेतु 04 ग्राम भुपियामऊ, बड़नपुर, टेऊंगा एवं जहनईपुर के कुछ गाटों के भूमि को अर्जन करने हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन रिपोर्ट तैयार करने, पर्यावरणीय समाघात अध्ययन एवं मिटिगेशन रिपोर्ट (पर्यावरण से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर) तैयार करने के साथ-साथ पी0सी0बी0 / एम0ओ0ई0एफ0 से अनापत्ति/क्लीयरन्स प्राप्त करने हेतु कन्सल्टेन्सी का कार्य।	भुपियामऊ-157.41 टेऊंगा- 129.81 बड़नपुर- 52.11 जहनईपुर- 10.06 कुल 349.39 एकड़	0.50	1180.00	04 माह

ई-निविदा हेतु -

1. पात्रता :

- अ) सामाजिक समाघात निर्धारण (सोशल इम्पैक्ट असेसमेन्ट) एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु प्रतिष्ठित केन्द्रीय/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान/विश्वविद्यालयों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
- ब) इच्छुक गैर सरकारी संस्थान कम्पनी/सोसायटी के रूप में पंजीकृत हो अथवा कम से कम पांच वर्ष से किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
- स) संस्थान के पास पर्याप्त मानव संसाधन जिसमें योग्य स्तर के अध्ययन/प्रबन्धन के लिए उपयुक्त व्यक्ति, जो शीर्ष एवं मध्यम स्तर के प्रबन्धन पर कुशल कार्य कर रहे हों।
- द) संस्थान के पास पेशेवर प्रबन्धन, अर्थशास्त्री, सामाज शास्त्री/मानव वैज्ञानिक आदि होने चाहिए, जिसका विवरण बिड डाक्यूमेन्ट में सहपत्रित आवेदन पत्र के साथ देना अनिवार्य होगा।
- य) पूर्व में जिन्होंने सामाजिक समाघात अध्ययन किया हो ऐसे संस्थान को वरियता दी जायेगी।
- र) पर्यावरणीय समाघात अध्ययन एवं मिटिगेशन प्लान तैयार करने हेतु संस्थान एन0ए0बी0ई0टी0 से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा। पर्यावरण से सम्बन्धित समस्त डिसीप्लिन पर रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा जैसे कि-(Land use, water use, demography and socio-economics, geology, soil, sadiments, hydrology, water quality, meteorology, air quality, terrestrial ecology, aquatic ecology and noise.)
2. पात्रता का चयन : निविदा की निर्धारित तिथि को निविदा खोली जायेगी जिसमें संस्थानों द्वारा किये गये पूर्व अध्ययन को शामिल किया जायेगा। अतः संस्था द्वारा पूर्व अध्ययन का विवरण आवेदन पत्र के साथ अवश्य अंकित किया जाये। पर्यावरणीय समाघात अध्ययन एवं मिटिगेशन रिपोर्ट के सापेक्ष Pollution control office U.P. एवं MOEF & CC द्वारा पृच्छा किये गये बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण एवं आपत्तियों का प्रतिउत्तर देते हुए इन्वार्यमेन्ट क्लीयरन्स प्राप्त किया जायेगा।
- नोट : प्रस्तावित भूमि का पूर्ण विवरण यथा खसरा/क्षेत्रफल/मानचित्र आदि बिड प्रपत्र में सम्मिलित है।
- 3-निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग आर.टी.जी.एस के माध्यम से जमा किया जाना है। आर.टी.जी.एस. निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत है।

क्रमशः पेज-2 पर.....

- खाताधारक का नाम - अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड प्रयागराज-02, प्रतापगढ़।
- बैंक का नाम - इण्डियन बैंक
- शाखा का नाम - प्रतापगढ़
- खाता संख्या - 20427943237
- आई०एफ०एस०सी० कोड - IDIB000P673

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download start date	20.11.2025 (5:00 PM)
Document Download End date	05.12.2025 (3:00 PM)
Bid submission start date	20.11.2025 (5:00 PM)
Bid submission closing date	05.12.2025 (3:00 PM)
Bid opening date	05.12.2025 (3:30 PM)

4. निविदा प्रपत्र एवं धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर.टी.जी.एस. का यू.टी.आर. नम्बर की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड भी किया जाना अनिवार्य है।
5. प्री क्वालीफिकेशन (टेक्निकल बिड) की शर्तों को पूरा करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड मान्य होगी।
6. फर्म का जी.एस.टी. पंजीकरण होना अनिवार्य है। नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
7. निविदादाता फर्म का आयकर/श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबंध गठन के पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी एफंड डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़ के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करनी होगी।
9. निविदा की वित्तीय बिड के साथ दरों के तीन माह की वैधता हेतु ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
10. निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबंध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक के क्रम में निविदा मूल्य के परिप्रेक्ष्य व अन्य धनराशि जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित है, के बराबर मूल्य के स्टैम्प अनुबंध हेतु प्रस्तुत करना होगा। उक्त हेतु अनुबंध गठन के समय ₹0 10.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा।
11. किसी कारणवश खण्ड कार्यालय में उक्त तिथियों में अवकाश होने पर निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
12. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायें तथा केवल परिषद में अनुमोदित ब्राण्ड/मेक की सामग्री का ही प्रयोग किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के पश्चात होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुये धरोहर धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में डाला जायेगा।
14. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित साप्ताहिक प्रगति चार्ट के अनुसार करनी होगी। प्रगति आकलन पाक्षिक किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमलेटिव प्रगति प्राप्त करनी होगी। अन्यथा की दशा में अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही शर्तों के अनुसार की जायेगी, जिसके लिये फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
15. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें। बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज-02, प्रतापगढ़ को निविदा बिना कारण बताये किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात भुगतान किया जायेगा। विलम्ब की दशा में 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड रोपित किया जायेगा।

(अभिषेक वर्मा)

अधिशासी अभियन्ता

पू०सं०

2209 / उक्त / 127

दिनांक

18/11/2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (म०) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 50/6, अलोपी बाग, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज-02, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यथाशीघ्र निविदा प्रपत्र तथा बी०ओ०क्यू० तैयार कर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. कैशियर, निर्माण खण्ड प्रयागराज-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़।
5. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ को परिषद वेबसाइट पर प्रचारित-प्रसारित करने हेतु।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता